निविदा–सूचना

1. राज्य सरकार मत्स्य विभाग द्वारा सैनिक स्कूल मैनपुरी को परिसर के अन्दर 2.0है0 भूमि में तालाब का निर्माण कराते हुए मछली पालन की योजना का क्रियान्वयन करने हेतु स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके लिए बजट भी स्वीकृत किया जा चुका है।

2. सैनिक स्कूल मैनपुरी में देश के विभिन्न राज्यों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जिनका मानसिक स्तर एवं शारीरिक स्तर पर विकास कराया जाता है। उक्त तालाब कैडेट्स के लिए प्रदर्शन का जरिया बनेगा।

3. इस सम्बन्ध में विषयक कार्य को बाह्य संस्था से सम्पादित कराने हेतु सैनिक स्कूल मैनपुरी द्वारा निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदा डालने की अन्तिम तिथि 20 दिसम्बर 2023 है। तकनीकी निविदा के साथ निविदादाता के अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, तथा निविदा शुल्क 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट अवश्य संलग्न किया जाये।

4. वित्तीय निविदा के साथ लागत के सापेक्ष 10प्रतिशत जमानत धनराशि तथा 2प्रतिशत धरोहर धनराशि प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल मैनपुरी के नाम बंधक करानी होगी।

5. निविदादाता के पास मत्स्य पालन का 02 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

6. निविदादाता यदि निर्धारित समयावधि में अनुबन्ध गठित नही करता है तो जमानत धनराशि जब्त की ली जायेगी।

7. तालाब का निर्माण कार्य माह जनवरी–24 तक पूर्ण कराना होगा। उसके पश्चात तालाब में मछली के बच्चे डालना, उनके लिए जरूरी भोजन व्यवस्था करने तक का कार्य माह फरवरी–24 तक पूर्ण करना होगा।

8. मछली पालन से सम्बन्धित मानकों के अनुसार वार्षिक चक्र 01 जूलाई से 30 जून तक मान्य होगा। प्रथम वार्षिक चक्र आपके द्वारा तालाब निर्माण एवं मछली डालने के बाद की तिथि से आने वाले 30 जून तक ही मान्य होगा।

9. निविदादाता मछली के डालने–निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. निविदादाता को तालाब की देख–रेख में रखने वाले कर्मियों के आधार कार्ड तथा पुलिस सत्यापन जमा कराना होगा।

11. कार्य की कुल लागत रू0 22.00 लाख है, जिसके लिए कराये गये कार्य के सापेक्ष कुल धनराशि के विरूद्व जी.एस.टी. सहित देयक प्रस्तुत करने होंगे। देयक प्राप्त होने के बाद सैनिक सैनिक स्कूल मैनपुरी द्वारा कार्य की जांच सही पाने के उपरान्त आपको भुगतान किया जायेगा।

12. निविदादाता को तालाब के क्रियान्वयन के दौरान प्रथम वर्ष 1,20,000/– अदा करने होंगे। अगले 9 वर्षो में रू0 10,000/– की प्रतिवर्ष वृद्वि करते हुए अदा करना होगा।

13. सैनिक स्कूल मैनपुरी के पास बिना कारण बताये कभी भी निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. उक्त कार्य के कुशल सम्पादन कराने के लिए सैनिक स्कूल मैनपुरी में इत्छुक निविदादाताओं से निम्नलिखित नियम व शर्तो के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जा रही है।

कार्य का पूर्ण विवरण तथा नियम व शर्तें :–

1	सैनिक स्कूल मैनपुरी परिसर में नियत स्थान पर लगभग 2.0 हैक्टेयर भूमि पर (जमीन स्तर से 5फीट गहरा+जमीन स्तर से 2फीट ऊपर तक मजबूत बन्ध बनाना+ बन्ध की चौड़ाई 2मीटर, अच्छी तरह से कुटाई करते हुए) मत्स्य विभाग के मानकों के अनुरूप तालाब की खुदाई/निर्माण का कार्य कराया जाना।
2	सुरक्षा की दृष्टि से तालाब के चारों तरफ 3मी0 ऊंचाई तक जाली लगाना।
3	विद्यालय की लगी समबरसिवल से तालाब में पानी पहुंचाने के लिए 4 इंच साईज अथवा आवश्यकतानुसार पाईप बिछाना।
4	समबरसिवल को संचालित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत मीटर लगाकर उसका समय से स्वयं भुगतान करना।

5	तालाब में पानी भरकर उचित मात्रा में मछलियों के बीज डालना।
6	मछली पालन सम्बन्धी प्रक्रियाओं को उचित प्रकार से पालन करना—जैसे प्रतिदिन मछलियों को अच्छी किस्म का भोजन खिलानो, तालाब में पानी का उचित स्तर बनाये रखना इत्यादि। अच्छी मात्रा का उर्वरक /खाद का प्रयोद करना। मछलियों को भूल से भी जहर या कोई हानिकारक खाना नही डालना।
7	तालाब के चारों तरफ प्रकाश की व्यवस्था हेतु विद्युत की लाईन बिछाते हुए लाइटें लगाना।
8	समय से लाईटों को चालू—बन्द कराना।
9	तालाब तथा मछलियों की उचित देखभाल हेतु कर्मचारी रखना।
10	प्रयोग की गयी विद्युत के देयक का समय से भुगतान किया जाना।
11	तालाब में प्रयोग किये जा रहे समस्त यंत्रों की समय—समय पर मरम्मत का ख्याल रखना।
12	मत्स्य पालन के दौरान एक समुचित भण्डारण की व्यवस्था की जायेगी।
13	मत्स्य को विक्रय के दौरान आने—जाने वाले वाहनों की पूर्व सूचना विद्यालय को देते रहने होगी।
14	सैनिक स्कूल मैनपुरी एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, विद्यालय के अन्दर किसी भी प्रकार की गतिविधि करने से पूर्व विद्यालय प्रशासन को अवगत कराना होगा।
15	उक्त कार्य से सम्बन्धित अन्तिम निर्णय के समस्त अधिकार सैनिक स्कूल मैनपुरी के पास रहेंगे।
16	मछलियों के लिए भोजन व्यवस्था विद्यालय में संचालित मैस के बचे हुए भोजन से भी ली सकती है जिसके लिए निविदादाता को अलग से भुगतान करना होगा, जो तत्समय निर्धारित कर लिया जायेगा।
17	उच्चतम बोली की 0.1% धनराशि यू.पी.ई.सी.एल. को उनका बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान की जायेगी।
18	विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें ही समस्त कार्यवाही के लिए मान्य होंगी।
19	काली सूची में दर्ज व्यक्ति/फर्म को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नही है।

जय हिन्द—जय भारत